फर्द अहकाम

छोटू शर्मा बनाम नर्बदा देवी शर्मा

न्यायालय 02/2019 TZ

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17/12/2019	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। पैरो. उप.। वकील अप्रार्थी सं. 01 जवाब समय चाहा। वकील अप्रार्थी सं. 01 को पूर्व में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं, अतः वकील अप्रार्थी को न्यायहित में एक अंतिम अवसर दिया जाता है, आगामी तारीख पेशी पर जवाब पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी सं. 01 का जवाब स्वतः ही बन्द माना जावेगा। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी (विपक्षी) सं. 01 व बहस प्रा. पत्र अस्थायी (निषेधाज्ञा) हेतु 29/1/2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	
29/1/2020	वकील पक्षकारान उप.। अप्रार्थी सं. 01 जवाब समय चाहा गया। पूर्व में जवाब बन्द किया जा चुका है। अतः अस्थायी प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अप्रार्थी सं. 01 का जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थीगण बहस करना जाहिर किया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर शामिल है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली कौशल कुमार रीडर नम्बर से बाहर हो। उपखण्ड अधिकारी दूदू	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 02/2019
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 10/01/2019
निर्णय दिनांक : 29/01/2020

1. सुरेश पुत्र मोहनलाल जाति जांगिड निवासी सरदार सिंह ढाणी रोड, बजरंग कॉलोनी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
2. कैलाश पुत्र मोहनलाल जाति जांगिड निवासी सरदार सिंह ढाणी रोड, बजरंग कॉलोनी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. नर्बदा देवी पत्नि मोहनलाल जाति जांगिड निवासी सरदार सिंह ढाणी रोड, बजरंग कॉलोनी किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
2. रतनलाल पुत्र नाथू जाति खाती निवासी मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
3. हनुमानप्रसाद पुत्र नाथू जाति खाती निवासी विश्वकर्मा स्कूल के सामने किशनगढ तहसील किशनगढ जिला जयपुर राज0
4. रामस्वरूप पुत्र नाथू जाति खाती निवासी विश्वकर्मा स्कूल के सामने किशनगढ तहसील किशनगढ जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री बलवन्त सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामरतन मीणा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

श्री मंजूर अली
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 29/01/2020

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना—पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि अचल सम्पति जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 के आराजी खाता संख्या 223 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 380 रकबा 2.3300 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील मौजमाबाद एवं जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के आराजी खाता संख्या 251 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 697 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 698 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 764 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 766 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 767 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 768 रकबा 0.3700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 769 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 770 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 771 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 772 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 778 रकबा 1.4900 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.6300 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मरवा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 एवं जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के आराजी खाता संख्या 278 के आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.6300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 536 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 537 रकबा 0.8700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 538 रकबा 1.2600 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 3.2800 हैक्टैयर भूमि वाके ग्राम मोरडा तहसील दूदू जिला जयपुर राज0 में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 4 मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार अपने—अपने हिस्से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है तथा लगान अपने—अपने हिस्से अनुसार सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 की उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं। मौके पर उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है परन्तु पक्षकारों के मध्य विधिक बंटवारा नही होने से आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण ने अपने हिस्से को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है तुलनात्मक रूप से प्रार्थीगण के हिस्से की आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 के हिस्से की आराजीयात से काफी उन्नत एवं उपजाऊ हो गयी हैं, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रार्थीगण से द्वेषता रखने लगे एवं ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थीगण को उसके हिस्से की उन्नत व कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 05/01/2019 को प्रार्थीगण ने आराजी का विधिवत तकासमा करवाने के लिये कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि हम बिना तकासमा ही तुम्हारे कब्जे की उपजाऊ आराजीयात से बेदखल कर बैचान करेंगे, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें न आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विकयादि करें न निर्माण कार्य करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 23/10/2019 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री मंजूर अली एडवोकेट ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया।

दिनांक 04/12/2019 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 पूर्व में उपस्थित होने के बावजूद भी अब उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रामरतन मीणा एडवोकेट उपस्थित हुये लेकिन जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या 1 ने भी जवाब पेश नही किया इसलिये उसका जवाब बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात असल जमाबन्दी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता संख्या 223 वाके ग्राम पानवाकलां, जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 251 वाके ग्राम मरवा एवं जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 278 वाके ग्राम मोरडा, तहसील दूदू के अनुसार विवादित आराजीयात के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 4 मौके पर काबिज काश्त हैं विवादित आराजीयात राजस्व

रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है, जिसके पक्षकारान सहखातेदारान है चूंकि प्रकरण मात्र विभाजन का है, इसलिये ऐसी स्थिति में जब तक विवादित आराजी का विधिक रूप से विभाजन नही हो जाता है, तब तक प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। प्रकरण के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण बिना तकासमा ही आराजीयत को हस्तांतरण करने पर आमादा है, इसलिये यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है, तो प्रकरण में पेचीदगीयां बढ जायेगी ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, जिनको प्रार्थीगण ने बखूबी साबित किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 223 के आराजी खसरा नम्बर 92, 379, 380 कुल किता 03 कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर वाके ग्राम पानवाकलां, तहसील दूदू, व आराजी खतौनी संख्या 251 के आराजी खसरा नम्बर 697, 698, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 778 कुल किता 12 कुल रकबा 4.6300 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मरवा, तहसील दूदू व आराजी खतौनी संख्या 278 के आराजी खसरा नम्बर 532, 534, 535, 536, 537, 538, कुल किता 06 कुल रकबा 3.2800 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरडा, तहसील दूदू, जिला जयपुर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

मुद्रा